

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोटरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प अश्वरु

:- आदेश :-

सुअल-27
15

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अश्वरु व भूअ.नि. इनामती की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोटरा/नायब तहसीलदार — की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अश्वरु तहसील सपोटरा व जिला करोली की जमाबन्दी सम्वत् 2011-74 में खाता संख्या 197, 198, 199, 201, 505, 506, 507 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
01	अश्वरु	197, 198, 199, 201, 505, 506, 507	श्रीचंद्र, शिवचण, डिनेश, हरि फि गिरधारी हिंग 1/5	श्रीचंद्र, शिवचण, रामचण, हरि फि गिरधारी हिंग 1/5

Piy
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
(सपोटरा, जिला-करोली (राज0))
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,

क्रमांक:- सलोडन/2017/53-55
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 19/5/17

1. तहसीलदार सपोटरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामचण 506 गिरधारी गुजरकिठ को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली। डोडपुरा (अश्वरु)

Piy
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा, लोक अदालत (राज0)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,

3 APR

रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि.

श्रीमानगी,
ग्राम भरतून में विरासत नामां सं 1075 से
हावेदक का नाम दिनेश इज हुआ जबकि हावेदक का
वास्तविक नाम रामचरण है आधार कार्ड व अन्य कपड
पत्र में भी हावेदक का नाम रामचरण है जो सही का

19/3/17
19/3/17
19/3/17

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

श्रीमानगी,

त्रिपुवासी, D. UR के अनुसूचित रिजिस्ट्रार का स्थान
पर रामचरण किया जाना उचित है

तहसीलदार (भूअं०)
सपोटरा जिला-करीली

आदेश

रिपोर्ट पटवारी, D. UR, तहसीलदार सपोटरा एवं प्रस्तुत दस्तावेज
को ध्यान में रखकर स्वीकार किया जा रहा है कोर्ट प्रचलित
जारी है। पत्रावली में भी अनुसूचित नाम रखे जा रहे हैं।

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा जिला-करीली (राज०)
अधिकारी